उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्या : –उनिलि/औ0सं0/मृ0आ0प्र0(47) दिनांक: 20 अप्रैल 2011

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवाकाल में मृत सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1975, जो उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के कार्मिकों हेतु प्रभावी है के पत्रांक 704–मा0सं0प्र0–02/विउनिलि/2003–(8)–एन0जी0/वि0उ0नि0लि0/2001, दिनांक 01.04.03 के अनुक्रम में उ0प्र0 शासन की अधिसूचना सं0–6/12/1073–कार्मिक–2–2007, दिनांक 09.02.07(प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा किये गये संशोधन को यथावत् उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में अंगीकृत किया जाता है ।

संलग्नकः यथोपरि। निदेशक मंडल की आज्ञा से

संख्या :451–उनिलि/औ0सं0/मृ0आ0प्र0 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(1) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,लखनऊ के स्टाफ अधिकारी।
(2) निदेशक (कार्मिक)/(वित्त)/(तकनीकी), उनिलि, लखनऊ के निजी सचिव।
(3) मुख्य अभियन्ता, अनपरा/ओबरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज,(सोनभद्र)/(सोनभद्र)/पारीछा(झॉसी)/(कानपुर)/(कासिमपुर- अलीगढ़)।
(4) मुख्य अभियन्ता/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, पीपीएमएम/तापीय परिचालन/वित्त/लेखा/मा0सं0/जानपद/आर0 एण्ड एम0/ईंधन उनिलि, लखनऊ ।
(5) कम्पनी सचिव, उनिलि,लखनऊ को निदेशक मंडल की 145वीं बैठक के ऐंजेंडा आइटम सं0–5 के सन्दर्भ में।
(6) अधी0अभि0/उ0म0प्र0(मा0सं–01/02/03/04/05/06)/चिकित्सा/रिफार्म/टा0वा0से0/प्रशिक्षण एवं विकास उनिलि लखनऊ।

आज्ञा से
19-4-11

(अतुलचन्द्र सरकार)
उपमहाप्रबन्धक (औ0सं0)

PM-3
20/4/11

P-MD-3(rama)109

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग–2

संख्या–6–12–1973–का–2–2007

लखनऊ दिनांक, 09 फरवरी, 2007

उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (आठवां संशोधन) नियमावली, 2007 (अंग्रेजी रूपान्तरण सहित) की संलग्न प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2–समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3–समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

4–सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।

5–सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

6–सचिव, लोक सेवा आयोग, उ०प्र० इलाहाबाद।

7–निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य प्रशासनिक अकादमी, बख्शी का तालाब, लखनऊ।

8–सचिवालय के समस्त अनुभाग।

9–सचिव, राजस्व परिषद् उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

पी०एन० यादव,

विशेष सचिव।

क्रम-सं०---16(क--6)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–जी०–11–लाई०–
न्यूज पेपर/91/05–06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियत नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 09 फरवरी, 2007

माघ 20, 1928 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
कार्मिक अनुभाग–2

संख्या 6/12-1973–कार्मिक-2-2007
लखनऊ, 09 फरवरी, 2007

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा०प०नि०–12

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (आठवॉं संशोधन) नियमावली, 2007

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (आठवॉं संशोधन) नियमावली, 2007 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम–2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में नियम–2 में स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान खण्ड (ग) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ—1 वर्तमान खण्ड	स्तम्भ—1 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(ग) 'कुटुम्ब' के अन्तर्गत मृतक सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे:— 1. पत्नी या पति, 2. पुत्र 3. अविवाहित पुत्रियां तथा विधवा पुत्रियां, 4. मृत सरकारी सेवक पर निर्भर अविवाहित भाई अविवाहित बहन और विधवा माता यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था।	(ग) 'कुटुम्ब' के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे:— 1. पत्नी या पति, 2. पुत्र 3. अविवाहित पुत्रियां तथा विधवा पुत्रियां, 4. मृत सरकारी सेवक पर आश्रित अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था, परन्तु यदि मृत सरकारी सेवक के उपरिउल्लिखत सम्बंधियों में से किसी से सम्बंधित कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है या वह शारीरिक और मानसिक रूप से अनुपयुक्त पाया जाय और इस प्रकार सरकारी सेवा में नियोजन के लिये अपात्र हो तो, केवल ऐसी स्थिति में शब्द "कुटुम्ब" के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक पर आश्रित पौत्र और अविवाहित पौत्रियां भी सम्मिलित होंगी।

आज्ञा से,
उमेश सिन्हा,
सचिव।

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 6/XII-1973-Personnel-2-2007, dated February 9, 2007 :

No. 6/XII-1973-Personnel-2-2007
Dated Lucknow, February 09, 2007

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Recruitment of

THE UTTAR PRADESH RECRUITMENT OF DEPENDANTS OF GOVERNMENT SERVANTS DYING IN HARNESS (EIGHTH AMENDMENT) RULES, 2007

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Goverment Servants Dying in Harness (Eighth Amendment) Rules, 2007.

(2) They shall come into at once.

Amendment of rule 2

2. In the Uttar Pradesh Recrutment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules 1974 in rule 2 for existing clause (c) set out in column 1 below the clause as set out in column 2 shall be substituted, namely:–

COLUMN-1		COLUMN-2	
	Existing clause		Clause as hereby substituted
(c)	"family" shall include the following relations of the deceased Government servant:–	(c)	"family" shall include the following relations of the deceased Government servant:–
(i)	Wife or husband;	(i)	Wife or husband;
(ii)	sons;	(ii)	sons;
(iii)	unmarried and widowed daughters	(iii)	unmarried and widowed daughters
(iv)	unmarried brothers unmarried sisters and widowed mother dependant on the deceased Government servant if the deceased Government servant was unmarried;	(iv)	unmarried brothers unmarried sisters and widowed mother dependant on the deceased Government servant if the deceased Government servant was unmarried; Provided that if a person belonging to any of the above mentioned relations of the deceased Government servant is not available or is found be physically and mentally unfit and thus ineligible for employment in Government service then only in such situation the word "family" shall also include the grand sons and the unmarried grand daughters of the deceased Government servant dependant on him.

By order,
UMESH SINHA,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 3474 राजपत्र (हि०)–(7399)–2007–597 प्रतियां–(कम्प्यूटर / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 12 सा० नियुक्ति–(7400)–2007–2000 प्रतियां–(कम्प्यूटर / आफसेट)।